


5.6.24

- Press


पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
वकील वादी पत्रावली को आगे नहीं चला
चाहते एवं न्यायालय कि की गई कार्यवाही
से सन्तुष्ट है, वकील वादी द्वारा पत्रावली
नोट प्रेस करने का निवेदन किया। वकील
वादी द्वारा नोट प्रेस किया जाने के
आधार पर वाद खारिज किया जाता है।
पत्रावली केसल सुमार होकर दफ्तर
धारित होके।


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा